निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 04 / 2023
दायरा दिनांकः–25.01.2023
निर्णय दिनांकः– 31-7-24

उनवान

रामबाबू आयु 57 वर्ष पुत्र लटुरलाल जाति कोली निवासी पुशपतिनाथ मंदिर के सामने ऐश्वर्या नगर झालारापाटन जिला झालावाड।

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट
निर्णय दिनांकः– 31-7-24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री लोकेश कुमार गुर्जर – प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल बावडीखेडा तहसील छबडा में खाता संख्या 59 के खसरा नम्बर 26 का रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा दर्ज खाते चली आ रही है। इसी प्रकार खाता संख्या 68 की कुल किता 3 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है तथा खाता संख्या 67 का खसरा नम्बर 157 का रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। उक्त तीनो खातों की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में सहवन से रामबाबू के स्थान पर बाबूलाल अंकित हो गया है जो कि गलत है। प्रार्थी का सही नाम रामबाबू है जो कि उसके राशन कार्ड आधार कार्ड बैंक डायरी मतदाता पहचान पत्र आदि दस्तावेजों मे भी रामबाबू नाम दर्ज है तथा नगरपालिका झालरापाटन के वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी रामबाबू नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम बाबूलाल पुत्र लटुर के स्थान पर रामबाबू पुत्र लटुर दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम बाबूलाल दर्ज कर देने से प्रार्थी को काफी परेशनियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नही कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने के निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 59 नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 67 पेश की गई। फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, रामबाबू फोटो प्रति बैंक पास बुक, पहचान पत्र, रामबाबू, प्रमाण पत्र पार्षद हेमलता गुर्जर नगर पालिका झालरापाटन पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सूनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बावडीखेडा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी का सही नाम रामबाबू है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रामबाबू के स्थान पर बाबूलाल दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में रामबाबू दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में बाबूलाल गलत दर्ज कर दिया है प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाली समस्त योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बाबूलाल के स्थान पर रामबाबू दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बावडीखेडा सम्वत 2073–76 खाता संख्या 59,68,67 में बाबूलाल पुत्र लटुर दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड बैंक पास बुक वगै0 में रामबाबू पुत्र लटुर दर्ज है इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने बताया कि प्रार्थी स्वंय झालरापाटन जिला झालावाड में निवास करता है प्रार्थी के वास्तविक नाम की जानकारी ग्राम में उपलब्ध नही है राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जर्ये विरासत दर्ज होना बताया। बाबूलाल का नाम रामबाबू दर्ज करने का कोई समुचित आधार उपलब्ध नही होना बताया। प्रस्तुत रिपोर्ट तहसीलदार छबडा के आधार पर प्रार्थी का नाम दुरूस्त करने का समुचित आधार उपलब्ध नही होना बताया प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहे है कि बाबूलाल एवं रामबाबू दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा